

विकलांग आश्रित को अनुदान

<p>विकलांग आश्रित को अनुदान – हवलदार रैंक (जीवित न होने की दशा में जे0सी0ओ0 रैंक) तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के विकलांग आश्रितों एवं पूर्व सैनिक की विकलांग पत्नी को अनुदान। (अधिकतम 20 लाभार्थी प्रतिवर्ष)</p> <p>Disability :- Upto 50% रू0 8,000/- Above 50% रू0 10,000/-</p>	<ol style="list-style-type: none">1. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी की संस्तुति।2. प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक की प्रमाणित छायाप्रति।3. विकलांग प्रमाण पत्र की स्वच्छ प्रति।4. लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण।5. ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा प्रदत्त पूर्व सैनिक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।6. वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू0 1.20 लाख।7. इस प्रयोजन हेतु किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता प्राप्त न होने सम्बन्धी ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
---	--